भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 4176

जिसका उत्तर 19.03.2020 को दिया जाना है

वाहनों पर आरएफ टैग शुरू करना

4176. श्री रेबती त्रिपुराः

श्री मनोज तिवारीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) टैग लगाने को अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सा.का.नि.1361 (अ) दिनांक 02.11.2017 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, एम और एन श्रेणी के अंतर्गत 1 दिसम्बर, 2017 के पश्चात बेचे गये सभी नए मोटर वाहनो के अधिकृत डीलर या वाहन उत्पादक द्वारा फास्टैग लगाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, सा.का.नि. 1081 (अ) दिनांक 02.11.2018 की अधिसूचना के अनुसार, सरकार द्वारा 1 अक्तूबर, 2019 से, राष्ट्रीय परमिट(एन/पी) के अंतर्गत वाहनो में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

*****